न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

(3)

वाद सं0–20/2022 **धारा–144 दं0प्र0स0**

मिथिलेश कुमार शर्मा –बनाम– क्युम राम वगै0

तारीख	–:आदेश:–	अभियुक्ति

यह वाद आवेदक कि ओर से विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से द0प्र0स0 कि धारा 144 के तहत कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु वकालतनामा के साथ आवेदन पत्र दाखिल कर कार्रवाई प्रारंभ करने हुए किया गया। जिसपर दिनांक 21.01.2022 को नोटिस निंगत करते हुए उभय पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से 02 (दो) माह के लिए रोक लगई गई।

विवादी भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है :–

मौजा– रसोइया धमना, थाना–बरही,जिला–हजारीबाग।

खाता नं0	प्लौट नं0	रकबा	चौहदी
152	1165	5.56 ए0 मधे रकवा 0.5 डी0	उ0– नीज आवेदक द0– रास्ता पू0– नीज आवेदक प0– लाटो साव

द्वितिय पक्ष (क्रमांक 02) सुनिल साव पिता स्व0 इन्दो साव साकिन रसोईयाधमना थाना बरही जिला हजारीबाग से प्राप्त आवेदन पत्र में आवेदित किया गया है प्रथम पक्ष द्वारा प्रश्नगत भुमि से संबंधित तथ्यों को छिपाकर वाद को लाया गया है। प्राप्त ओवदन के आधार पर अंचल अधिकारी बरही से उक्त प्रश्नगत भूमि का जॉच कर जॉच प्रतिवेदन कि पूनः मांग कि गई।

उभय पक्षों के कारणपृच्छा तथा संलग्न कागजात तथा दोनों पक्षों के बयान व विज्ञ अधिवक्तओं को सुनने के पश्चात एवं अंचल अधिकारी,बरही से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचती हुॅ, कि वाद में लायी गई प्रश्नगत भूमि तथा प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल कागजात/पर्चा का खाता अलग–अलग है

फलस्वरूप उक्त भूमि पर धारा 144 द0प्र0स0 कि कार्रवाई का औचित्य नही होता है। अतः वाद का खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

25/2/22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

25/2/22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.09 11:49:50 +05:30
Location: 192.168.1.41